



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-09012026-269245
CG-GJ-E-09012026-269245

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]
No. 22]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिसूचना

गांधीनगर, 5 जनवरी, 2026

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बहीखाता, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएँ)
(संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आईएफएससीए/जीएन/2026/002.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण एतद्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बहीखाता, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएँ) विनियम, 2024 (जिसे इसके बाद प्रधान विनियम कहा जाएगा) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बहीखाता, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएँ) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. प्रधान विनियमों में, विनियम 12 का विलोप हो जाएगा।
3. प्रधान विनियमों की द्वितीय अनुसूची में, मद संख्या 5 में, शब्द और अंक "विनियम 11" के बाद शब्द और अंक "और 12" का विलोप हो जाएगा।

प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./598/2025-26]

नोट:

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बहीखाता, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएँ) विनियम, 2024 भारत के राजपत्र, असाधारण में, दिनांक 06 जून, 2024 को संख्या जी.एस.आर. 394 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 5th January, 2026

International Financial Services Centres Authority (Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial Crime Compliance Services) (Amendment) Regulations, 2026.

F. No. IFSCA/GN/2026/002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28, read with sub-section (1) of Section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, further to amend the International Financial Services Centres Authority (Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial Crime Compliance Services) Regulations, 2024 (hereinafter referred to as the principal regulations), namely:

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial Crime Compliance Services) (Amendment) Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the principal regulations, regulation 12 shall stand omitted.
3. In the SECOND SCHEDULE of the principal regulations, in item number 5, after the word and figure "regulation 11", the word and figure "and 12" shall stand omitted.

PRAVEEN TRIVEDI, Executive Director

[ADV.T.-III/4/Ext./598/2025-26]

Note:

The International Financial Services Centres Authority (Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial Crime Compliance Services) Regulations, 2024 were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 394, dated 06th June, 2024.